

19/7/24

पत्रावली पेशद्वारे वादी व वादी अधिवक्ता
 अनुपस्थित) वाट-वाट आकस लागले
 पर श्री वादी व वादी अधिवक्ता अदालत
 हाजिर नाही। इतके घट स्पष्ट झाले
 कि वादी व वादी अधिवक्ता उक्त वाद
 पत्र को अग्रसर नाही चलाना पावले ही
 झट। उक्त वाद-पत्र अदम पैली अदम
 हाजरी में खारिज किया जाता है
 पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर
 दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिवक्ता
 बस्ती जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिवक्ता
 बस्ती जिला-जयपुर